फर्द अहकाम

राजू शर्मा बनाम कमल

[सं]ख्या / वर्ष 43/2021 : ______ / 20______

[दि]नांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
10/2/25	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/2/25 को पेश हो।	
17/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात पर बहस सुनी गई वास्ते आदेश हेतु दि० 24/2/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी [ज]यपुर (द्वितीय)	
24/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० वादीगण की ओर तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर एवं तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात अनुसार वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री किये जाने बाबत विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 43/2021
निर्णय दिनांक : 24.02.2025

उनवानी

1. राजू शर्मा पुत्र स्व. श्री मूलचन्द शर्मा
2. प्रकाश शर्मा पुत्र स्व. श्री मूलचन्द शर्मा
3. श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री राजू शर्मा
4. श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री प्रकाश शर्मा समस्त जाति ब्राहमण, निवासीयान रामा की ढाणी, अगुणा बाढ, ग्राम भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. कमल पुत्र श्री रामेश्वर
2. श्रीमती मंगली देवी पत्नी स्व श्री प्रभाती लाल
3. रामेश्वर पुत्र श्री काना राम निवासीयान रामा की ढाणी, अगुणा बाढ, ग्राम भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 153, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत घोषणा, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

वादीगण ने वाद पत्र बाबत तकासमा, स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। जिसमें न्यायालय द्वारा वादीगण के वाद में दिनांक 15.07.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तहसील सांगानेर को निर्देशित किया गया कि वाके ग्राम भांकरोटाकला, पटवार हल्का भांकरोटाकला, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में खाता संख्या नया 543 एवं खाता संख्या पुराना 523 के खसरा नंबर 2488 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2489 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2490 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2491 रकबा 0.5000हैक्टेयर, खसरा नंबर 2492 रकबा 1.5100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2493 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2495 रकबा 0.4600 हैक्टेयर, कुल किता 07 कुल रकबा 2.6300 हैक्टेयर स्थित का तहसीलदार सांगानेर का निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षों की उपस्थिति में भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर तकासमा किया जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन–तीन प्रतियों में तैयार करवाकर इस न्यायालय को दिनांक 30.07.2024 से पूर्व पेश किये जाने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र कमाक भु0अ0/कुर्रेजात/2024/9505 दिनॉक 26.11.2024 के संलग्न कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियो मे प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है।

वकील उभयपक्षो की कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

है। वकील प्रतिवादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट आपत्ती प्रस्तूत की गयी जो शामिल मिसल है पत्र आपत्ती कुर्रेजात पर सुना गया। प्रार्थना पत्र आपत्ती कुर्रेजात खारिज किया गया।

पत्रावली, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन करने पर व वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। मनन करने पर का वाद तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मुताबिक वाद अंतिम डिक्री किया न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाके ग्राम भांकरोटाकला, पटवार हल्का भांकरोटाकला, भू अभिलेख निरीक्षक भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में खाता संख्या नया 543 एवं खाता संख्या पुराना 3 के खसरा नंबर 2488 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2489 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, सरा नंबर 2490 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2491 रकबा 0.5000हैक्टेयर, खसरा नंबर 92 रकबा 1.5100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2493 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2495 रकबा 4600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2491/2828 रकबा 0.0450 हैक्टेयर, कुल किता 08 कुल रकबा 6750 हैक्टेयर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

	राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज					
क्र.सं.	खाता संख्या	खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
	543	कमल दत्तम पुत्र प्रभातीलाल पुत्र रामेश्वर हि. 1/6 जाति हरियाणा ब्राम्हण सा. देह खातेदार, प्रकाश पुत्र मूलचन्द हि. 1/6 जाति हरियाणा ब्राम्हण सा.देह, मंगलीदेवी पत्नि प्रभातीलाल हि 1/6 जाति हरियाणा ब्राम्हण सा.देह, राजू पुत्र मूलचन्द हि. 1/6 जाति हरियाणा ब्राम्हण सा. देह , रामेश्वर पुत्र कानाराम हि. 1/3 जाति हरियाणा ब्राम्हण सा.देह।	2488 2489 2490 2491 2492 2493 2495	0.0500 0.0300 0.0200 0.5000 1.5100 0.0600 0.4600	बरानी 1 गै.मु.रा. गै.मु.रा. चाही ए चाही ए बरानी 1 चाही ए	109.54
		कुल किता	7	2.6300 है0		109.54
2	799	कमल शर्मा पुत्र प्रभातीलाल शर्मा हि. 11/45 जाति हरियाणा ब्राम्हण सा.देह., रामेश्वर शर्मा पुत्र कानाराम शर्मा हिस्सा. 11/45 जाति हरियाणा ब्राम्हण सा.देह., विमला देवी पत्नी राजू शर्मा हि. 23/90 जाति हरियाणा ब्राम्हण सा.देह., गीता देवी पत्नी प्रकाश शर्मा हि. 23/90 जाति हरियाणा ब्राम्हण सा.देह.	2491/ 2828	0.0450	चाही ए	1.98
		कुल किता	1	0.0450 है0		1.98

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रस्तावित कुर्रेजात इन्द्राज

प्रस्तावित खातेदार	प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा	लगान	रंग
प्रकाश पुत्र मूलचन्द हि. 4383/8996 जाति हरियाणा ब्राम्हण सा.देह., राजू पुत्र मूलचन्द हि 4383/8996 जाति हरियाणा ब्राम्हण सा.देह, बिमला देवी पत्नी राजू शर्मा हि. 115/8996 जाति हरियाणा ब्राम्हण सा.देह, गीता देवी पत्नी प्रकाश शर्मा हि 115/8996 जाति हरियाणा ब्राम्हण सा. देह	2491/मि. 2492/मि. 2492/2828/मि.	0.2355 0.6405 0.0236		
कुल किता	3	0.8996 है0		
कमल दत्तम पुत्र प्रभातीलाल पुत्र रामेश्वर हि. 14494/17754 जाति हरियाणा ब्राम्हण सा. देह खातेदार, मंगलीदेवी पत्नि प्रभातीलाल हि 4383/17754 जाति हरियाणा ब्राम्हण सा.देह, रामेश्वर पुत्र कानाराम हि. 8877/17754 जाति हरियाणा ब्राम्हण सा.देह।	2488 2489 2490 2491/मि. 2491/मि. 2492/मि. 2492/मि. 2493 2495 2491/2828/मि.	0.0200		
कुल किता	10	1.7754 है0		

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2025 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर